निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 17/2023
दायरा दिनांकः–06.09.2023
निर्णय दिनांकः–01-7-24

उनवान

1. सुखपाल आयु 36 वर्ष पुत्र कल्लु
2. मिथलेश आयु 38 वर्ष पुत्री कल्लु
3. सुनिता आयु 43 वर्ष पुत्री कल्लु
4. वृंदाबाई आयु 45 वर्ष पुत्री कल्लु जातियान ढीमर निवासीगण चावलखेडी तहसील छबडा जिला बारां (राज0) ....प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर एक्ट
निर्णय दिनांकः– 1-7-24
अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री राजेश भार्गव– प्रार्थीगण

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,136 आर.टी.ए विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की पैत्रिक कृषि आराजी खाता संख्या 59 की खसरा नम्बर 10 रकबा 0.6956 है0 खसरा नम्बर 6/2 रकबा 0.1391 है0 खसरा नम्बर 7 रकबा 0.8220 है0 कुल किता तीन रकबा 1.6567 है0 वाके माल बारई तहसील छबडा में स्थित है। जिसमें प्रार्थीगण का हिस्सा निहित है। इसी प्रकार वाके माल बारई तहसील छबडा की भूमि खाता संख्या 74 की खसरा नम्बर 40 रकबा 3.5157 है0 खसरा नम्बर 49 रकबा 1.8717 है0 कुल किता दो रकबा 5.3874 है0 भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थीगण का हिस्सा निहित है। उक्त आराजी प्रार्थीगण की पैत्रिक आराजी है जो उनके मृतक पिता कल्लु के फोत होने से उनके नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में नियमानुसार दर्ज हुई है किन्तु समस्या समाधान शिविर ग्राम बारई में दिनांक 17.9.1998 को राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना गहनता से जॉच किये बिना प्रार्थीगण के दस्तावेज देखे बिना उनके पिता मृतक कल्लु के स्थान पर उनके गांव में प्रचलित बोलतें नाम दीपू पुत्र बुन्दि बाई पुत्री मुखलेश बाई पुत्री, सन्नी पुत्री एवं धापु पुत्री का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज कर नामान्तरण खोल दिया। प्रार्थी दीपू का वास्तविक नाम सुखपाल है बुन्दि बाई का वास्तविक नाम बृन्दाबाई है मुखलेश का वास्तविक नाम मिथलेश सन्नी का वास्तविक नाम सुनिता एवं धापु का वास्तविक नाम अनीता है धापु अविवाहित फोत हो चुकी है। खातें में प्रार्थीगण नाबालिग दर्ज है वर्तमान में बालिग हो चुके है जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड में नाबालिग को बालिग दर्ज कराने के अधिकारी है। प्रार्थीगण का राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.17 12:03:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

कर्मचरियों की गलती से बोलता नाम जमाबन्दी ग्राम बारई में दर्ज हो गया। जबकि समस्त राजकीय दस्तावेज एवं सरकारी रिकार्ड में प्रार्थीगण का सही व वास्तविक नाम सुखपाल,बृंदाबाई,मिथलेश व सुनिता है राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थीगण का गलत दर्ज होने से प्रार्थीगण को अपने–अपने हिस्से की आराजी का विकास करने एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित होना पड रहा है। प्रार्थीगण अपने राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अपना सही वास्तविक नाम दर्ज कराने के वैधनिक अधिकारी है। धापु उर्फ अनीता अविवाहित फोत हो चुकी है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी ग्राम बारई तहसील छबडा जिला बारां में अवस्थित होने से उक्त प्रार्थना पत्र को सुनने का अधिकार श्रीमान को प्राप्त है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थीगण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम बारई सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 59 नकल जमाबन्दी ग्राम बारई सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 74 नकल नामानतरण संख्या 613 ग्राम बारई दिनांक 17.09.1998 पेश की गई। फोटो प्रति आधार कार्ड बृंदाबाई फोटो पहचान पत्र मिथलेश फोटो प्रति आधार कार्ड, सुनिता बाई फोटो प्रति आधार कार्ड,सुखपाल मृत्यु प्रमाण पत्र अनीता काश्यप फोटो प्रति अंक तालिका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राज0 अजमेर 2011 पेश की गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सूनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम बारई में स्थित है जिसमें प्रार्थीगण का हिस्सा निहित है विवादित आराजी पैत्रक आराजी है जो उनके मृतक पिता कल्लु के फोत होने से उनके नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी दर्ज हुए। समस्या का समाधान शिविर ग्राम बारई में दिनांक 17.09.1998 को वारिसान बिना जॉच किये बिना प्रार्थीगण के दस्तावेज देखे गांव में बोलतें नाम दीपू, बुन्दीयाबाई, मुखलेश बाई, सन्नी बाई, धापु के नाम से नामान्तरण खोल दिया। जबकि प्रार्थी दीपू का नाम सुखपाल, बुन्दिया बाई का वास्तविक नाम वृन्दाबाई मुखलेश का वास्तविक नाम मिथलेश सन्नी का नाम सुनिता एवं धापु का नाम अनीता है धापु अविवाहित फोत हो गई है प्रार्थीगण के दस्तावेजो में सुखपाल वृन्दाबाई, मिथलेश, व सुनिता अंकित है प्रार्थीगण का गलत नाम दर्ज होने से विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित होना पड रहा है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण के नाम दुरूस्त किये जावे।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गयी पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम बारई तहसील छबडा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 59 एवं खाता संख्या 74 में प्रार्थीगण का नाम नाबालिग दीपु नाबालिग धापु, नाबालिग बु[illegible] नाबालिग मिथलेश, नाबालिग सन्नी आत्मज कल्लु दर्ज है। [illegible] दिनांक 17.09.1998 में मृतक कल्लु का फोती नामान्तरण में [illegible] वारिसान का सजरा अंकित है जिसमें पुत्र छीतर, दीपु, पुत्री [illegible] बुन्दियाबाई व बेवा कन्या बाई का नाम दर्ज हुआ इससे यह साबित होता है कि प्रार्थीगण का नाम फोती नातान्तरण खोलतें समय गलत हुआ है तहसीलदार छबडा से प्रार्थीगण के नामों के संबंध में रिपोर्ट ली गई तहसीलदार छबडा द्वारा बताया कि ग्राम वासियान से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.17 12:03:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

जानकारी उक्त खातेदारों के बारे में प्राप्त की गई प्रार्थीगण के बारे में ग्राम वासियान द्वारा बताया कि मिथलेश उर्फ मुखलेश, सुनिता उर्फ सुन्नी वृन्दाबाई उर्फ बुन्दिया पुत्री कल्लु उक्त खातेदारों को दोनो नामों से पुकारा जाता है। तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट एवं पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि दीपू उर्फ सुखपाल द्वारा ऐसे दस्तावेज पेश नही किए गए जिनसे स्पष्ट हो कि दीपू सुखपाल है अन्य खातेदारो के बोलतें नाम दर्ज होना प्रमाणित होता है। प्रार्थीगण का नाम फोती नामान्तरण खोलते समय बोलतें नामो से दर्ज किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम बारई तहसील छबडा के खसरा नम्बर 10 रकबा 0.6956 है0 खसरा नम्बर 6/2 रकबा 0.1391 है0 खसरा नम्बर 7 रकबा 0.8220 है0 खसरा नम्बर 40 रकबा 3.5157 है0 खसरा नम्बर 49 रकबा 1.8717 है0 में दर्ज मुखलेश के स्थान पर मिथलेश सुन्नी के स्थान पर सुनिता बुन्दिया के स्थान पर वृन्दा बाई दर्ज करने के आदेश तहसीलदा छबडा को दिये जाते है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.17 12:03:14 IST
Reason: SelfAttested